

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपकरण)

कार्या. अ.य. अ.उ.दा.(नि / संधा.)वृत्त, क्वा. न. बी-2,बी-3,बिजली कालोनी, भिलाई-3

Website : www.cspc.co.in E-Mail – seeht.bhilai3@cspc.co.in Phone No. & Fax No. 0788-2281332

कं.052 / 2000 / पी.टी.-02 / 1261

भिलाई-3,दिनांक 19.03.2021

निविदा प्रपत्र

(अउदा.—संधारण) संभाग, छ.ग.रा.वि.पारेषण कं. मर्यादित, भिलाई-3 के अधीन पेट्रोलिंग एवं हॉटलाइन संधारण कार्य के लिए एक नग, मिनी बस किराये पर लिये जाने बाबत् (कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य).

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13.04.2021 17.30 बजे तक

कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 15.04.2021 15.00 बजे तक

कोटेशन खुलने की तिथि / समय 15.04.2021 15.30 बजे

Issued to

On payment of Rs. -----

कार्यपालन यंत्री
कार्या. अ.य. अ.उ.दा.(नि / संधा.)वृत्त,भिलाई-3

टेन्डर फार्म कीमत रु.1000.00
जीएसटी 12 प्रतिशत अतिरिक्त

निविदाकर्ता के लिए निर्देश

01. कोटेशन निर्धारित तिथि दिनांक 15.04.2021 दोपहर 15.00 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में कार्यालय अधीक्षण यंत्री, अति उच्च दाब (नि./संधा.) वृत्त, छ.ग.रा.वि.पारेषण कं. मर्यादित भिलाई-3 में स्थित टेन्डर बॉक्स में जमा करें या निविदा/कोटेशन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजे जा सकते हैं। कोटेशन दि.15.04.2021 को दोपहर 15.30 बजे खोला जायेगा। निर्धारित तिथि को अवकाश होने पर कोटेशन अगले कार्य दिवस में खोले जायेंगे। अस्पष्ट एवं काट-छांट वाले आफर/दरें स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा सशर्त निविदा विचारणीय नहीं होगी।
02. कोटेशन /निविदाएं चार लिफाफे में जमा करनी होगी जो निम्नानुसार होना चाहिए:-
पहला लिफाफा अमानत राशि का,
दूसरा लिफाफा नियम एवं शर्तें (सेक्षण 1,2,3,4,6) एवं अन्य दस्तावेज
तीसरा लिफाफा (Price bid सेक्षण 5) का,
इन तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलबंद कर निर्धारित तिथि/समय पर टेन्डर बॉक्स में जमा करना होगा।
03. अमानत राशि **रु.11,000/-** (ग्यारह हजार) मात्र नकद कार्यालय अधीक्षण यंत्री, अति उच्च दाब (नि./संधा.) वृत्त, छ.ग.रा.वि.पारेषण कं. मर्यादित, भिलाई-3 में जमा किया जा सकता है या डिमांड ड्राइट "क्षेत्रीय लेखाधिकारी, छ.ग.रा.वि.पारे.क.मर्या. रायपुर" के नाम से प्रस्तुत करें। अमानत राशि जमा न किये जाने की स्थिति में आफर/कोटेशन निरस्त किये जायेंगे। लिफाफे में अमानत राशि जमा किये जाने का संदर्भ अंकित करें।
04. अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने/कार्य आदेश जारी होने के पश्चात (unsuccessful bidder) को वापस कर दी जावेगी।
05. निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर मूल प्रति कोटेशन के साथ जमा करें।
06. कंपनी के हित में किसी भी कोटेशन को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता के पास सुरक्षित है, चाहे वह न्यूनतम दर हो अथवा न हो।
07. कंपनी को यह अधिकार होगा कि किसी भी परिस्थिति में निविदा आवश्यकतानुसार निरस्त की जा सकेगी।
08. जो निविदाकर्ता नया वाहन किराये पर लगाना चाहते हैं, वे कृपया सेक्षण-4 में नवीन वाहन खरीदना स्पष्ट दर्शाये तथा कोटेशन के साथ अधिकृत विक्रेता का कोटेशन या प्रोफार्मा इन्वाइट संलग्न करें।
09. वाहन सभी प्रकार के कानूनी व्यवधानों से मुक्त होना चाहिए।
10. वाहन लगाये जाने हेतु प्रस्तुत दरें तीन माह तक वैध होनी चाहिए।
11. वाहन मालिक/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कोटेशन पर अपना सहीं पता टेलीफोन/मोबाइल नंबर स्पष्ट अंकित करें जिससे कि कंपनी द्वारा पत्राचार किया जा सके। गलत पता होने पर पत्र एवं सूचना न मिलने पर कंपनी उत्तरदायी नहीं रहेगी।
12. वाहन का मासिक किराया (ईंधन, लुब्रिकेंट, मरम्मत कार्य, सर्विसिंग, वाहन चालक/परिचालक का वेतन, समस्त टैक्स एवं ड्युटी सहित) दर प्रस्तुत करना होगा। अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
कार्या. अ.य. अ.उ.दा.(नि/संधा.)वृत्त,भिलाई-3

नियम एवं शर्तें

01. 1500 कि.मी. प्रतिमाह निश्चित रन (fixed run) के लिये तथा 1500 कि.मी. से अधिक चलने की दरें **Price bid** में दर्शायें। किसी माह में वाहन 1500 कि.मी. से कम चलने पर ₹.18.00 प्रति कि.मी. की दर से कटौती की जावेगी।

02. **PRE-BID QUALIFICATIONS / REQUIREMENTS** प्रस्तावित वाहन (मिनी बस) निम्नानुसार हो सकता है :-

(अ) वाहन सेवा प्रदाता Body Corporate / कम्पनी ना हो (अर्थात् व्यक्ति / फर्म हो)

(ब)

i. वाहन 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो एवं 75,000 किमी से अधिक ना चला हो।

OR

ii. वाहन 4 वर्ष से अधिक पुराना ना हो एवं 1,00,000 किमी से अधिक ना चला हो।

OR

iii. वाहन 5 वर्ष से अधिक पुराना ना हो एवं 1,25,000 किमी से अधिक ना चला हो

OR

iv. नया वाहन। नये वाहन हेतु, अधिकृत वाहन विक्रेता का कोटेशन या प्रोफार्मा इन्वाइट संलग्न करें। अन्यथा ऑफर निरस्त कर दिये जायेंगे।

(स). निविदाकर्ता व्यक्ति / फर्म के पास EPF/ESIC का पंजीयन होना अनिवार्य है अन्यथा ऑफर निरस्त कर दिये जायेंगे। पंजीयन की प्रति संलग्न करें।

(द). वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, वैध (valid) कार्मिश्यल टैक्स, रोड टैक्स, परमिट, इंश्योरेंस फिटनेस प्रमाण पत्र की छायाप्रति कोटेशन के साथ संलग्न करें। अन्यथा ऑफर निरस्त कर दिये जायेंगे।

(इ). वाहन का चयन उसकी भौतिक स्थिति के आधार पर किया जायेगा, कम चले अथवा नये वाहन का वाहन को प्राथमिकता दी जायेगा।

3. SCOPE OF WORK

a. मिनी बस (पावर वैगन) का उपयोग अति उच्च दाब लाईनों के संधारण, पेट्रोलिंग एवं हाटलाइन संधारण कार्य के लिये, कर्मचारियों एवं हाटलाइन टुल्स को कार्य स्थल तक सुरक्षित ले जाने एवं लाने के लिये किया जावेगा। (कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छ.ग. राज्य)

b. हाटलाइन टुल्स को रखने के लिए वाहन में आवश्यकतानुसार फेरबदल, वाहन मालिक द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा, जो सहायक यंत्री, (अउदा. संधारण) उपसंभाग, खेदामारा, भिलाई के निर्देशानुसार करना होगा।

c. वाहन का मासिक किराया (ईधन, लुब्रीकेंट, मरम्मत कार्य, सर्विसिंग, वाहन चालक / परिचालक का वेतन, समस्त टैक्स एवं ड्युटी सहित) जी.एस.टी. छोड़कर। अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया जावेगा।

d. वाहन के Officer in-charge सहायक यंत्री, (अउदा. संधारण) उपसंभाग, खेदामारा, होंगे अधीन कार्या. कार्यपालन यंत्री (अउदा. संधारण) संभाग, छ.ग.रा.वि.पारेषण क. मर्यादित भिलाई-3. मिनी बस का उपयोग उनके निर्देशानुसार किया जावेगा। वाहन का मुख्यालय, खेदामारा, भिलाई रहेगा।

- e. वाहन 24 घंटे कंपनी की सेवा में ही रहेगी तथा उपयोगकर्ता अधिकारी के सुविधानुसार स्थान पर सर्वकालीन उपलब्ध रहेगी।
 - f. वाहन के आगे एवं पीछे “**ON CSPTCL DUTY**” लिखवाना होगा।
 - g. वाहन हमेशा मेन्टेन रखना होगा एवं आपात स्थिति के लिए वाहन चालक के पास डीज़ल/पेट्रोल भरवाने हेतु पर्याप्त राशि की व्यवस्था वाहन मालिक करेंगे।
 - h. लाग बुक पुस्तिका प्रतिदिन इंद्राज करना होगा साथ ही सहायक यंत्री से हस्ताक्षरित कराना होगा।
 - i. वाहन का Milometer प्रत्येक माह चेक करवाना होगा।
 - j. वाहन केवल निर्धारित ईंधन के अनुसार चलाना होगा अन्य किसी भी प्रकार का वैकल्पिक ईंधन मान्य नहीं होगा।
 - k. सर्विसिंग हेतु वाहन सिफ एक दिन के लिये प्रदान किया जावेगा, वाहन किस दिन दिया जाना है इसका निर्णय सहायक यंत्री, (अउदा. संधारण) उपसंभाग, खेदामारा, करेंगे।
 - l. वाहन चालक ग्रे रंग की वर्दी में कार्य पर उपस्थित रहेंगे, वर्दी का खर्च वाहन मालिक द्वारा प्रदाय किया जायेगा। एवं वाहन चालक को साप्ताहिक अवकाश देना होगा।
 - m. वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लायसेंस एवं वाहन चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए एवं ट्रैफिक नियमों की जानकारी होनी चाहिए।
 - n. वाहन चालक का व्यवहार एवं आचरण अच्छा होना चाहिए। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर अन्य वाहन चालक की व्यवस्था करनी होगी।
 - o. कंपनी को यह अधिकार होगा कि आपात स्थिति में कंपनी के वाहन चालक अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति से वाहन चलवा सके।
4. **कार्यावधि(Contract period):**—वाहन की कार्यावधि एक वर्ष रहेगी (from the date of engagement of vehicle). आगे की अवधि के लिये वाहन की आवश्यकता होने पर छःमाह के लिये विस्तारित आदेश (Extension order on same rate & terms and condition) दिया जा सकता है।
- 5. कार्यावधि के दौरान वाहन मालिक एवं कंपनी को यह अधिकार होगा कि एक माह पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर वाहन कंपनी से हटा सकेंगे।
 - 6. कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर वाहन मालिक / ठेकेदार द्वारा कंपनी के साथ 300/- रु. के नॉन ज्युडिशियल स्टेम्प पेपर + एक रु. के रेवेन्यु टिकिट पर अनुबंध करना होगा, अनुबंध का खर्च वाहन मालिक द्वारा व्यय किया जावेगा।
 - 7. कार्यादेश जारी होने के तिथि से 15 दिन के अन्दर वाहन भौतिक निरीक्षण हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, वाहन के विस्तृत निरीक्षण के उपरांत संतुष्ट होने पर वाहन अनुबंधित किया जावेगा।

8. कार्यादेश राशि (Annual Financial Commitment) का 10 प्रतिशत सुरक्षा निधि 15 दिवस के भीतर (FDR) के रूप में जमा करना होगा जो RAO, CSPTCL, Raipur के नाम पर प्रस्तुत किया जा सकता है। जिसे अनुबंध अवधि पूर्ण होने पर No Liability के पश्चात वापस किया जायेगा।
9. **Terms of payment:-**
 - (i) मासिक बिल का भुगतान बिल जमा करने की तिथि से एक माह के भीतर क्षेत्रीय लेखाधिकारी, छ.ग.रा.वि.पारे.क.मर्या. रायपुर' द्वारा किया जायेगा, तथा देयक से नियमानुसार करो की कटौती की जावेगी।
 - (ii) अतिरिक्त वाहन चालन का भुगतान (त्रैमासिक), सक्षम अधिकारी (Next higher authority) के अनुमोदन के पश्चात किया जायेगा।
 - (iii) श्रमिक वेतन अधिनियम के अन्तर्गत समय—समय पर घोषित न्युनतम वेतन एवं अन्य अनुलाभ का भुगतान प्रतिमाह 10 तारिख तक वाहन चालक /परिचालक के बैंक खाते में जमा करना होगा। EPF/ESIC भुगतान के चालान की प्रति एवं वाहन चालक /परिचालक के बैंक खाते में वेतन जमा करने का साक्ष्य मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. पेट्रोल /डीजल /आईल एवं लेबर रेट आदि में वृद्धि होने पर कम्पनी के आदेश क्र. 01-02/veh/ Revision/2085 दिनांक 05.06.2018 के तहत प्राइस वेरिएशन का प्रावधान है तदानुसार भुगतान किया जावेगा।
11. वाहन 24 घंटे से अधिक खराब रहने की स्थिति में अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी अन्यथा रु.2,000/- प्रतिदिन के हिसाब से मासिक बिल से कटौति की जावेगी।
12. वाहन चालक की अनुपस्थिति में अन्य वाहन चालक की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी अन्यथा अनुपलब्ध माना जायेगा एवं उपरोक्तानुसार कटौती की जायेगी।
13. वाहन किराये पर लेने के पश्चात् वाहन या वाहन चालक /परिचालक परिचालक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। वाहन मरम्मत का संपूर्ण व्यय /कानूनी व्यवधानों से छुड़ाने का कार्य वाहन मालिक करेंगे।
14. वाहन के मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।

कार्यपालन यंत्री
कार्या. अ.य. अ.उ.दा.(नि/संधा.)वृत्त,भिलाई-3

जी.एस.टी. संबंधी घोषणा पत्र

- (1) अ. क्या सेवाप्रदाता के पास जी.एस.टी. पंजीयन है। हाँ/नहीं
ब. यदि है तो सेवाप्रदाता का जी.एस.टी. पंजीयन क.
- (2) यदि सेवाप्रदाता जी.एस.टी. में पंजीकृत है तो अपने देयको में जी.एस.टी. भारित करेगा और अपंजीकृत है तो जी.एस.टी. भारित नहीं करेगा। ऐसी सेवाओं का कोड SAC कोड 996606 है।

(सेवाप्रदाता के हस्ताक्षर एवं सील)

1. नाम —
2. पता एवं मोबाइल सहित

वाहन का विवरण

दिनांक _____

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

सील सहित

वाहन किराये पर दिये जाने हेतु दरें
(PRICE BID)

क्र.052 / 2000 / पी.टी.-02 / 1261

भिलाई-3, दिनांक 19.03.2021

कोटेशन खुलने की तिथि 15.04.2021 एवं समय दोपहर 15.30 बजे

क्र	वाहन का विवरण			वाहन का किराया	
	वाहन का प्रकार	वाहन का मेक	वाहन निर्माण का वर्ष	1500 कि.मी. प्रतिमाह निश्चित रन हेतु (fixed run)	1500 कि.मी. से अधिक के लिए ₹0 प्रति कि.मी.
1	2	3	4	5	6

दिनांक -----

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

सील सहित

चेक लिस्टक्या निम्नांकित दस्तावेज कोटेशन के साथ संलग्न हैं

- | | |
|--|------------|
| (1) अमानत राशि जमा करने संबंधी साक्ष्य | हाँ / नहीं |
| (2) टेन्डर फार्म मूल प्रति में | हाँ / नहीं |
| (3) EPF पंजीयन की प्रति | हाँ / नहीं |
| (4) ESIC पंजीयन की प्रति | हाँ / नहीं |
| (5) GST पंजीयन की प्रति | हाँ / नहीं |
| (6) वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, | हाँ / नहीं |
| (7) वैध (valid) कार्मिशियल टेक्स, | हाँ / नहीं |
| (8) रोड टैक्स, | हाँ / नहीं |
| (9) परमिट, | हाँ / नहीं |
| (10) इंश्योरेंस | हाँ / नहीं |
| (11) फिटनेस प्रमाण पत्र। | हाँ / नहीं |
| (12) Cancelled cheque की प्रति | हाँ / नहीं |

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

सील सहित

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपकरण)

कार्या. अ.य. अ.उ.दा.(नि / संधा.)वृत्त, क्वा. न. बी-2,बी-3,बिजली कालोनी, भिलाई-3

Website : www.cspc.co.in

E-Mail – seeht.bhilai3@cspc.co.in

Phone No. & Fax No. 0788-2281332

क्र.052 / 2000 / पी.टी.-02 / 1261

भिलाई-3, दिनांक 19.03.2021

निविदा आमंत्रण सूचना

(अउदा.—संधारण) संभाग, छ.ग.रा.वि.पारेषण कं. मर्यादित भिलाई-3 के अधीन पेट्रोलिंग एवं हॉटलाइन संधारण कार्य के लिए **एक नग, मिनी बस** किराये पर लिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

कं	वाहन का प्रकार	अनुमानित लागत / अमानत राशि	निविदा प्रपत्र (Form) प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि / समय	प्रिन्टेड निविदा प्रपत्र की कीमत (वापसी योग्य नहीं है)
01	मिनी बस, (25 सीटर) महिन्द्रा / टाटा या समकक्ष (वाहन पांच वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) या नया वाहन	रु.11.21 लाख	13.04.2021 17.30 बजे	15.04.2021 15.00 बजे	रु.1,000/- + 12% जी.एस.टी. अतिरिक्त
		अमानत राशि रु. 11,000/-		निविदा खुलने की अंतिम तिथि / समय 15.04.2021 15.30 बजे	डाउनलोड करने पर रु.1,000/- + 18%.जी.एस.टी. अतिरिक्त

विस्तृत विवरण पारेषण कंपनी की वेबसाईट www.cspc.co.in पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालयीन दिवस में प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र डाक से मंगाये जाने पर डाक खर्च रु.250/- का डी.डी. (क्षेत्रीय लेखाधिकारी, छ.ग.रा.वि.पारे.क.मर्या. रायपुर) के नाम से, आवेदन के साथ संलग्न कर भेजना होगा।

अधीक्षण यंत्री
अ.उ.दा.(नि. / संधा.)वृत्त,
छ.रा.वि.पारे.कंपनी मर्यादित. भिलाई-3

Copy to:-

1. The EE O/o CE(EITC), CSPDCL, Raipur. Please arrange to display the above tender notice on the CSPTCL's web site.
2. Cashier / Notice board.